मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बी-6/नियमन/वि.अनु./ABN Multi State /684/ 2311 भोपाल, दिनांक 06/02/2023

प्रति

ABN (Anant Bhavishya Nirman) Multi State Agro Purpose Cooperative Society Limited,
H-1st Floor, Amar Complex, Near Over Bridge,
Kalukunwa, Dist-Banda, Uttar Pradesh-210001

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे।

संदर्भ - **ABN (Anant Bhavishya Nirman) Multi State Agro Purpose Cooperative Society Limited** का आवेदन दिनांक 03/01/2023।

ABN (Anant Bhavishya Nirman) Multi State Agro Purpose Cooperative Society Limited (आवेदक) के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप-एक मे आवेदन दिनांक 19/09/2022 प्रस्तुत किया गया है जिसमे मध्यप्रदेश के **कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, जबलपुर के** मंडी क्षेत्र मे अधिसूचित कृषि उपज **"धान्य तथा दलहन"** तथा "तिलहन" के क्रय हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति चाही गई है।

2. आवेदक के द्वारा नियम, 2009 में निर्धारित अनुसार प्रतिभूति स्वरूप रुपये 09 लाख मूल्य की इंडियन बैंक मिर्जापुर की की बीजी क्रमांक 07205IG230000001 दिनांक 12/01/2023 प्रस्तुत की गई है जिसकी वैधता अवधि दिनांक 12/01/2024 तक है।

3. **आवेदक** को उक्त मंडी समितियों में अधिसूचित कृषि उपज केवल **"धान्य तथा दलहन"** तथा **"तिलहन"** के क्रय से संबंधित विक्रेता के साथ प्ररूप-पांच मे करार, प्ररूप-छः विक्रय बाउचर तथा मंडी समिति के कार्यालय मे, क्रय-विक्रय से संबंधित प्ररूप-सात मे पाक्षिकी विवरण, प्ररूप-आठ मे दैनिक क्रय विवरण, उपाबंध-एक अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय / निर्गमन के संबंध मे, उपाबंध-दो मे पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 (दो) में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज केवल **"धान्य तथा दलहन" तथा "तिलहन"** के क्रय हेतु मंडी का नाम का विवरण देना प्रावधानित है, जिसके अनुसार **आवेदक** द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के खरीदी / विक्रय के स्थान की मंडी बोर्ड एवं संबंधित मंडी समितियों को यथासमय जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

mail

5. नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार **ABN (Anant Bhavishya Nirman) Multi State Agro Purpose Cooperative Society Limited** को **कृषि** उपज **मंडी समिति** गंजबासौदा, **अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, जबलपुर के मंडी क्षेत्र** मे अधिसूचित कृषि उपज **"धान्य तथा दलहन" तथा "तिलहन"** के क्रय हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति अनंतिम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप-3 में परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(जी व्ही रश्मि)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/वि.अनु./ABN Multi State /684/ 2312 भोपाल, दिनांक 06/02/2023

प्रतिलिपि

1. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/ जबलपुर/ सागर/ ग्वालियर/ रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। **ABN (Anant Bhavishya Nirman) Multi State Agro Purpose Cooperative Society Limited** को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 मे उपनियम (2) के अधीन उपरोक्तानुसार नवीन विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल **"धान्य तथा दलहन" तथा "तिलहन"** के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा मंडी अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं।

2. कृषि उपज मण्डी समिति...................... जिला..................... (समस्त) (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। **ABN (Anant Bhavishya Nirman) Multi State Agro Purpose Cooperative Society Limited** को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 के अधीन जारी विशेष अनुज्ञप्ति उपरोक्तानुसार अधिसूचित कृषि उपज केवल **"धान्य तथा दलहन" तथा "तिलहन"** के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं।

3. अपर संचालक (आईटी सेल), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारक **ABN (Anant Bhavishya Nirman) Multi State Agro Purpose Cooperative Society Limited** को स्वीकृत नवीन विशेष अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में कराने हेतु।

6/02/23

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

C:\Users\Acer\Desktop\sandeep folder 2022-23\sandeep letter.doc

परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 8 देखिये)

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/30 दिनांक 06/02/2023

1- श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स **ABN (Anant Bhavishya Nirman) Multi State Agro Purpose Cooperative Society Limited, H-1st Floor, Amar Complex, Near Over Bridge, Kalukunwa, Dist-Banda, Uttar Pradesh**-210001 को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु तारीख ...06. माह...फरवरी...... वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनन्तिम रूप से दी जाती है :-

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	तिलहन/धान्य तथा दलहन	जबलपुर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर जिला जबलपुर	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री सोमनाथ यादव, मो.नं-6268894372
2	तिलहन/धान्य तथा दलहन	टीकमगढ	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति टीकमगढ जिला टीकमगढ	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री देवेन्द्र चौबे, मो. नं-9752745965
3	तिलहन/धान्य तथा दलहन	दमोह	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला दमोह	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री सुशील साहू मो.नं-8085108503

6/02/23

4	तिलहन/धान्य तथा दलहन	अशोकनगर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति अशोकनगर जिला अशोकनगर	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री रौनक वाजपेयी, मो.नं-9575733299
5	तिलहन/धान्य तथा दलहन	सागर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति खुरई जिला सागर	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	
6	तिलहन/धान्य तथा दलहन	गंजबासौदा	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा जिला विदिशा	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	

2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रों मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में) {नियम 4 (2) देखिए}
1	तिलहन	2,000 मेट्रिक टन
2	धान्य तथा दलहन	2,000 मेट्रिक टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति

10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।

11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक 06/02/2023 से 05/02/2024 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5 यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियॉं प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर,

6/02/23

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता

कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)